

भूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर

स्थान :- करीरी

दिनांक :- 28-5-2018

पीठासीन अधिकारी :- श्री रवि बिज्जम

(1) रीनशमाल उर्फ दीनानाथ दत्तक पुत्र दनुमान सहाय- वारि ब्राह्मण  
सिवासी गाम करीरी तह- शाहपुरा - जयपुर (राज)

वादी

(1) शरदशमान सहाय वारि तहसील राह तहसील शाहपुरा - जयपुर (राज)  
 (2) महवार कल्ला गाम करीरी तहसील-शाहपुरा - जयपुर (राज)

प्रतिवादीगण

दावा बाबत :- 88,188 R.T. Act  
 मुकदमा नम्बर :- 60/2017  
 निर्णय दिनांक :- 28-5-2018

अतः दत्त वादी लोक अशलत की भावना से डिक्री किया जाता है कि गाम करीरी तहसील शाहपुरा के आ.ख.न-733/0-63, 734/0-41, 744/0-23, 748/0-16, 1216/0-20, 1220/0-05, 13/0-09, 1218/0-82, 1221/0-02, 1222/1-23, 110/0-81, 111/0-21, 112/0-59, है. मैं वादी के नाम रजिस्ट्रार से मेरी दीनानाथ पुत्र दनुमान सहाय वारि ब्राह्मण के स्थान पर रीनशमाल दत्तक पुत्र दनुमान सहाय वारि- ब्राह्मण को ब्यावहारिक कार्रवाही घोषित किया जाता है। तदनुसार शरदशमान वारि में अमल इलाकह हो।

यह आज मेरे दस्तावेज एवं आगलप की मुद्रा लगाकर जारी किया गया।



सहायक कलक्टर एवं  
 उपखण्ड अधिकारी एवं  
 पदेन सहा.कलक्टर शाहपुरा (जयपुर)

वाद के खर्चे